फा.सं. वी.11025/04/2016-एमईपी
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(एमईपी-अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 05 दिसंबर, 2016

सेवा में

राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के सभी प्रधान सचिव (एमई)
(संलग्न सूची के अनुसार)।

विषय: मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग के संबंध में।

महोदय/महादेया,

मुझे एनईईटी (नीट) स्नातकोत्तर तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के मुद्दों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 28 नवंबर, 2016 को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ हुई चर्चा का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। यह ज्ञात हुआ है कि अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों तथा निजी/नामित विश्वविद्यालयों सहित राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तर पर सभी स्नातकोत्तर चिकित्सा/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त काउंसलिंग आयोजित करने के इच्छुक हैं।

2. शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (चिकित्सा और दंत चिकित्सा) के लिए संयुक्त काउंसलिंग के सफल आयोजन को देखते हुए ऐसा समझा जाता है कि राज्य/संघ शासित सरकारों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से निजी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों तथा निजी मानित विश्वविद्यालयों सहित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में सभी मेडिलक/डेंटल कॉलेजों में सभी स्नातकोत्तर/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से संयुक्त काउंसलिंग का आयोजन करना उपयुक्त होगा।

भवदीय,

(अमित विश्वास)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061120

प्रतिलिपि:

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद, पॉकेट-14, फेज-1, सेक्टर 8, द्वारका, दिल्ली -110077
3. अध्यक्ष, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, एवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, मंदिर लेन, नई दिल्ली – 110002
4. अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, मेडिकल एन्कलेव, अंसारी नगर, रिंग रोड, नई दिल्ली – 110029
5. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
6. एडीजी (एमई), जीएचएस निदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली – 110011.